राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– एफ. 7(1)(1)/पंचा./रानिआ/2014–15/10080 दिनांकः 31.12.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) समस्त ।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव–2015 का संशोधित चुनाव कार्यक्रम।

महोदय,

आयोग के पत्रांक 9758 दिनांक 24.12.2014 द्वारा प्रेषित किये गये चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में होने है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य भर में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2015 को नियम 58 के अन्तर्गत तीनों चरणों के लिये निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा करने आदि की प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जानी थी।

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक चरण के लिये चरणवार पृथक–पृथक अधिसूचना जारी की जा कर तद्नरूप निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। इसी प्रकार सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिये लोक सूचना भी चरणवार जारी की जायेगी।

अतः उक्तानुसार संशोधित चुनाव कार्यक्रम संलग्न कर लेख है कि इस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक चरण के लिए पृथक–पृथक अधिसूचना/लोकसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया का सम्पादन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सत्य प्रकाश बसवाला) 31/12/14
सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – संशोधित चुनाव कार्यक्रम

प्रथम चरण (प्रत्येक जिले में)

(अ)	केवल पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के लिए–	दिनांक
1	नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	03.01.2015 (शनिवार)
2	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	06.01.2015 (मंगलवार)
3	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
4	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	07.01.2015 (बुधवार) पूर्वाह्न 11.00 बजे से
5	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	08.01.2015 (गुरूवार) पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
6	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	08.01.2015 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे के तुरन्त बाद
7	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	14 अथवा 15.01.2015
8	मतदान की तिथि एवं समय	16.01.2015 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
(ब)	पंचों/सरपंचों/उपसरपंचों के लिए लोकसूचना एवं मतदान की तिथि –	
1	पंच/सरपंच के निर्वाचन की लोक सूचना (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	03.01.2015 (शनिवार)
2	पंच/सरपंच चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि व समय	17.01.2015 (शनिवार) प्रातः 8.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3	पंच/सरपंच चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिन व समय	17.01.2015 (शनिवार) पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4	पंच/सरपंच चुनाव के लिए नाम वापसी की तिथि व समय	17.01.2015 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	पंच/सरपंच चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयारी	17.01.2015 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे के तुरन्त बाद
6	मतदान की तिथि एवं समय	18.01.2015 (रविवार) प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक
7	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	18.01.2015 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
8	**उपसरपंच चुनाव**	19.01.2015 (सोमवार) (अपराह्न 11.30 बजे तक)
9	मतदान दलों की वापसी	19.01.2015 (सोमवार)

द्वितीय चरण (प्रत्येक जिले में)

(अ)	केवल पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के लिए–	
1	नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	09.01.2015 (शुक्रवार)
2	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	12.01.2015 (सोमवार)
3	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
4	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	13.01.2015 (मंगलवार) पूर्वाह्न 11.00 बजे से
5	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	14.01.2015 (बुधवार) पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक

31/12/14